



Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन हर घर जल

ग्राम कार्ययोजना (वी०ए०पी०)

आर्गावर्त सेवा एवं विकास संस्थान, लखनऊ



Har Ghar J
Jal Jeevan Mis

जल सक्ती रक्ती गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करती है। ग्राम पंचायत और/या इराकी उप-समिति, अर्थात वी०ए०पी०ए०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जाती है और वी०ए०पी०ए०सी० को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम स्तर में अनुमोदित/स्वीकृत किया जाता है। आई०एस०ए० द्वारा मार्गदर्शन/सहायता प्रदान किया जाता है।

1. तैयारी की तारीख 08/09/2021 उपर्युक्त ग्रामविधियों की सत्यापन
ग्राम स्तर में अनुमोदन की तारीख 20/09/2021
वी०ए०पी०ए०सी० को प्रस्तुत किये जाने की तारीख
2. ग्राम का नाम निरनाम परिचामी
ग्राम पंचायत का नाम निरनाम परिचामी
विकास खण्ड का नाम फरे-21
जनपद का नाम मधुबनी
राज्य का नाम उत्तर प्रदेश
ग्राम जनगणना कोड
यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम

1. ग्राम पंचायत सकल्प
3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा 4- संख्या, मवेशी कुड़ों को और 15 संख्या, कपड़ा धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 10 घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल०पी०सी०डी० जल की आपूर्ति वर्ष 2021 तक 2024- ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिये एफ०ए०टी०सी० प्रदान करना।
हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतर्ग्राम जल आपूर्ति अवसरवचना के अपनत्व, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सद्दृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गंदे जल की व्यवस्था करेंगे और मीठे/साफ जल को बचायेंगे। यह सकल्प लिया जाता है कि पूजा/लागत का 10% प्रतिशत और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा। पानी की गुणवत्ताका प्रमाण पत्र पी०ए०ई०डी०/आर०डब्ल्यू०एस० विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- II- ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०ए०पी०ए०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?
ग्राम पंचायत और/या उप-समिति निरनाम परिचामी
समिति को क्या कहा जाता है ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
समिति के अध्यक्ष का नाम दुर्गा कुमारी
लिंग पुरुष
आयु 40

क्र०स०	सदस्य का नाम	लिंग	आयु	जाति	अन्य विवरण
1	दुर्गा कुमारी	पुरुष	40	SC	अध्यक्ष
2	आशुतोष कुमारी	"	45	OBC	सचिव
3	सशीष मधु	"	28	OBC	कोषध्यक्ष
4	राम आशीष पादव	"	36	OBC	सदस्य
5	कमलेश पादव	"	26	SC	सदस्य

6	दिनेश	पुरुष	28	OBC	सर्वप
7	शनी	महिला	24))))
8	सुनीता))	25))))
9	सुनीता))	36))))
10	शमिल्य))	35))))
11	विन्शवती))	32	SC))
12	चित्रा))	28))))
13	आप्ती))	40))))
14	माधु))	39))))
15	सजय कर्मा	पुंज	22	OBC))

III- सामान्य विवरण

6-	2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान पंचायत/आगनवाडी रिकार्ड के अनुसार
	जनसंख्या 3863	जनसंख्या 4560
	परिवारों की संख्या 482	परिवारों की संख्या 570
	महिलाओं की संख्या 1699	महिलाओं की संख्या 2906
	पुरुषों की संख्या 1738	पुरुषों की संख्या 2052
	बच्चों की संख्या 425	बच्चों की संख्या 502
	एफ0एच0टी0सी0 की संख्या	एफ0एच0टी0सी0 की संख्या

7- जनसंख्या अनुमान

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष वर्तमान जनसंख्या से 18 प्रतिशत वृद्धि 172.865

किलोमीटर/दिन के0एल0डी0 अंतिम चरण वर्तमान से 30 वर्ष वर्तमान जनसंख्या में 32 प्रतिशत वृद्धि 193380

किलोमीटर/दिन के0एल0डी0

8- वर्तमान मवेशी संख्या पशुपालन रिकार्ड 168

9- कृषि फसल पैटर्न खरीफ

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना		
धान	✓	
मक्का		
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10- औसत जल वर्षा मि0मी0 में 1318 MM

11- स्थलाकृति समतल, ढलान, आदि

IV- स्थिति विश्लेषण

12- क्या ससाधन मानचित्रण किया गया है? हा / नहीं नहीं

ग्राम कार्यगयोजना के साथ मानचित्र सलग्न करे

13- क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? हा / नहीं नहीं

ग्राम कार्यगयोजना के साथ मानचित्र सलग्न करे

14-

क्र0 सं0	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ0एच0टी0सी0 उपलब्ध है? हा/नहीं	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? हा/ नहीं	सेखता गड्डों की उपलब्धता? हा/ नहीं

1	स्कूल	नहीं	नहीं	नहीं
2	आंगनवाड़ी	॥	॥	॥
3	स्वास्थ्य केन्द्र	॥	॥	॥
4	ग्राम पंचायत भवन	॥	॥	॥
5	अन्य	॥	॥	॥

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता 146590 जनसंख्या दर 55 के०एल०डी प्रति व्यक्ति

मेशिनो के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता के०एल०डी

मवेशी कुंठों की आवश्यक संख्या 4

माध्यमती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर 55 के० एल० डी प्रति व्यक्ति

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर 55 के०एल०डी प्रति व्यक्ति

पानी आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चकवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति

17. आगतकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नहीं

18. पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आर्थिक कार्य, स्रोत को मजबूत करनेका इतिवृत्त हाँ

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त हाँ

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट/बायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें

21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता स्रोत का नाम अवस्थिति

स्रोत	मापदण्ड	तरीका	परिणाम
	गदगी	दृश्य तुलना	
	पीएच	पट्टी रंग तुलना	
	पूर्ण लवणता	टिटीमेटिक विधि	
	पूर्ण क्षारीयता	टिटीमेटिक विधि	
	क्लोराइड	टिटीमेटिक विधि	
	अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
	फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
	अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
	आयरन	दृश्य रंग तुलना	
	नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
	फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
	आर्सेनिक हाट स्पॉट में	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने/ स्नान करने का स्थान

- 23- यह सभावना है कि गाव के कुछ गरीब इलाको मे कपड़े धोने/स्नान करने के लिए या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमे कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने है

अवस्थित का नाम	घरों की संख्या	आबादी
सामान्य	15	105

स्रोत स्थायित्व

- 24- भू-जल स्रोत के मामले मे, क्या बोरेवेल स्ट्रार्ज संरचना है? हा/नही **हाँ**
- 25- गद मे उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका काया कल्प/मरम्त कार्य किया जाना आवश्यक है।

गद जल का प्रबंधन

- 26- उत्पन्न गंदा जल जल आपूर्ति का 65 प्रतिशत..... के 0एल0डी0 अलग-अलग सोखता गडढो वाले परिवारों की संख्या

उन परिवारों की संख्या जिन्हे सोखता गडढो की आवश्यकता है

आवश्यक सामुदायिक सोखता गडढो की संख्या

क्या अपशिष्ट तलाछट तालाब की आवश्यकता है? हा / नही **हाँ**

यदि हा तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है **हाँ**

यदि नही तो गद जल के प्रबंधन के लिए कौन से अन्य उपाय अपनाये जाने चाहिए

III- जल आपूर्ति योजना

- 27- निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किए जाएंगे:

- * अंतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 के तहत शुरू की गयी योजनाओं की रेटोफिटिंग
- * पूर्ण हो चुके आर0 डब्ल्यू0एस0 की रेटोफिटिंग ताकि इसे जे0जे0एम0 के अनुकूल बनाया जा सके
- * निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल /स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातलीय जल वाले गावों मे एस0वी0एस0 ✓
- * शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गावों मे एस0वी0एस0
- * वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एस0वी0एस0 ✓
- * मिनी सौर उर्जा आधारित पी0डब्ल्यू0एस0 जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों मे स्थित हैं।

- 28- अभिनिर्धारित जल स्रोत **समुदाय आधारित** तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना **निर्धारित** **जब** **सुधमे** **आवृत्त** इस योजना के लिए

अभिनिर्धारित भूमि
को सौंप दी जाएगी

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी०एच०ई०डी०/आर०डब्ल्यू०एस०
योजना की लागत **DPR के अनुसार** भारत सरकार का हिस्सा
ग्राम पंचायत/समुदाय का हिस्सा

राज्य सरकार का हिस्सा

अधिकतम 10/-

व्यक्तिगत/घरेलू अशदान

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क

व्यक्तिगत/घरेलू

मासिक जल आपूर्ति शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क **50-100**

कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी०डब्ल्यू०एस०

III- मेल-जोल


निम्नलिखित तालिका में उन सभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल सम्भव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29-

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	सभावित गतिविधिया जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवा वित्त आयोग ✓	ग्राम पंचायत ✓	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, डेरेनेज सिस्टम आदि।	राज्यवित्त
स्वच्छ भारत मिशन एस०बी०एम०-जी० ✓	प्यजल एव स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ✓	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, सोखता गडढे व्यक्तिगत/सामुदायिक अपशिष्ट, तलछट तालाब आदि।	ग्रामीणनिधि
एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०	ग्रामीण विकास मंत्रालय ✓	प्रकृतिक ससाधन प्रबंधन एन०आर०एम० घटक के तहत समी जल संरक्षण गतिविधिया	अनुसूचण जाता से VW5CL
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आइग०डब्ल्यू०एम०पी०	भूमि ससाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर०डब्ल्यू०एच० / कृत्रिम पुर्नभरण, जल निकायो का निर्माण / वृद्धि आदि	
जल भण्डारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल ससाधन, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर०के०वी०वाई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से सम्बन्धित कार्य	
स्थानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पी०एम०के०एस०वाई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए रूकम-सिंचाई का प्रावधान, एक्वीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्नजनन, वाटरशेड विकास आदि।	
स्थानमंत्री कौशल विकास योजना पी०एम०के०एस०वाई०	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर०डब्ल्यू०एस० योजनाओं के लिए	✓

		आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि	✓
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में वेजकल आपूर्ति का प्रावधान	✓
आकाशी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	धजला कलेक्टर के पास उपलब्ध विदेकधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियां	
जिला खनिज विकास निधि डी०एम०ए०एफ०	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियां	
एम०पी०एल०ए०डी०	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एम०ओ०एस०पी०आई०	अंतर्ग्राम अवसरचना	
एम०एल०ए०एल०ए०डी०	राज्य	अंतर्ग्राम अवसरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 1 के तहत अनुदान / जनजातीय उप योजना टी०एस०एस०	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्ग्राम अवसरचना	
दानदाता / प्रायोजक			

अध्यक्ष के हस्ताक्षर



पी०एच०ई०डी० / आर०डब्ल्यू०एस० विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई०एस०ए० प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर यदि लागू हो

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्ल्यू०एस०सी० / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि का अध्यक्ष

ग्राम पंचायत सचिव का नाम और फोन नम्बर

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नम्बर

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए 5 महिलाओं के नाम और फोन नम्बर

1 श-ती - 7524994578

2 सुमीता - 7754851050

3 मनीता - 8853854274

4 शर्मिता - 775485105

5 विन्दावती - 8756757785

पंप आपरेटर का नाम और फोन नम्बर

दिनेश - 8382938110